परिशिष्ट - "अ" मा.प्रश्न - 1401

(5) उपखंड अधिकारी, उसमें हितवद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर स्वप्रेरणा से, निम्नलिखित किन्हीं पर, वाजिब-उल-अर्ज में की किसी प्रविष्टि को उपान्तरित कर सकेगा या उसमें कोई नवीन प्रविष्टि अन्त: स्थापित कर सकेगा –

(क) यह कि ऐसी प्रविष्टि में हितवद्ध समस्त व्यक्ति उसे उपान्तरित कराना चाहते हैं; या

(ख) यह कि किसी सिविल वाद में दी गई किसी डिक्री द्वारा उसे गलत घोषित कर दिया गया है; या

(ग) यह कि सिविल न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश पर या किसी राजस्व अधिकारी के आदेश, पर आधारित होते हुए भी वह ऐसी डिक्री या आदेश के अनुसार नहीं हैं; या

(घ) यह कि इस प्रकार आधारित होते हुए भी, वाद में ऐसी डिक्री या ऐसे आदेश को अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में फेरफारित कर दिया है; या

(ङ) यह कि सिविल न्यायालय ने डिक्री द्वारा, ग्राम में विद्यमान किसी रूढ़ि का पर्यवसान कर दिया है।

243. आबादी – (1) जहां आवादी के लिये रक्षित क्षेत्र कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो तो वह गांव की दखल रहित भूमि में से ऐसा और क्षेत्र रक्षित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(2) जहां आवादी के प्रयोजनों के लिये दखल रहित भूमि उपलब्ध न हो, वहां राज्य सरकार आवादी के विस्तारण के लिये कोई भी भूमि अर्जित कर सकेगी।

(3) लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (भूमि अर्जन अधिनियम, 1984) (क्रमांक 1 सन् 1894) के उपवन्ध ऐसे अर्जन से लागू होंगे और उस अधिनिमय के उपवन्धों के अनुसार ऐसी भूमि के अर्जन के लिये मुआवजा (प्रतिकर) देय होगा।

244. आबादी स्थलों का निबटारा – इस सम्वन्ध में वनाये गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए ग्राम पंचायत या जहाँ ग्राम पंचायत का गठन न किया गया हो, वहाँ तहसीलदार आवादी क्षेत्र में स्थलों का निपटारा करेगा।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

Scanned with OKEN Scanner